

तारीख
हुकम

12-5-21

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यालय बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेंस पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 14-7-21 को पेश हों

14-7-21

पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मानवीय शब्द प्रकृत न्यायालय से निगशनी रिगण्ड होकर दिनांक 20-2-18 को न्यायालय हाथ में प्राप्त होने पर पुनः दर्ज राजीश्वर जी शर्मा पक्षकारों को सूचनार्थ नोटिस जारी किये गये पक्षकार बावजूद तारीख हाजिर न्यायालय नहीं आये जिसे बावजूद पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रोवाही अवसर दिये गये। मानवीय न्यायालय शब्द प्रकृत अजमेर वाश अपने निगशनी आदेश में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त को दृष्टिगत करते हुए प्रार्थी को एक अवसर दिया जाकर निगशनी 2001 के प्रॉबे कोस्ट पर एबीकार कर प्रार्थी को एक माह का अवसर प्रदान किया गया था। मानवीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को दिनांक 19-4-2017 को विचाराधीन न्यायालय उपस्थित होने पर के लिए वाक नु किया गया था। पत्रावली विलम्ब से प्राप्त होने पर 20-2-2018 को पुनः दर्ज भी गयी।



अदालत में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पक्षकारों को सूचित किया गया यक्षकार
कांड नुसुन्या हाजिर न्यायालय नहीं आये
माननीय न्यायालय द्वारा यक्षकारों को पारस
करते हुए यह भी आदेश दिया गया
कि प्रार्थी विचारण न्यायालय में निर्धारित
समय पर उपस्थित नहीं होता है तो विचारण
न्यायालय द्वारा पारित पूर्ण आदेश बहाल
माना जावेगा। प्रार्थी कायजूद तज्जील
नोटिस आज दिनांक तक न्यायालय
हाजिर नहीं हुआ। ३ वर्षों तक अवसर
दिये जाते रहे हैं अतः इस न्यायालय
द्वारा पारित पूर्ण आदेश दिनांक 14-3-2012
बहाल राखा जाता है पन्नावली फौजदारी
शुमार होकर कांड तज्जील का शिखर बहाल
है।

(५०१)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बुन्दी